राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(8)ग्रावि/नरेगा/विविध/00792/2017 जयपुर, दिनांक : 30 JAN 2019

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर,
हनुमानगढ, पाली, चूरू, नागौर एवं श्रीगंगानगर।

विषयः– **अभावग्रस्त घोषित गांवों की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराए जाने के संबन्ध में।**

संदर्भः– **कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 38–04/2019 डीएम दिनांक 23.01.2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान द्वारा 10 जिलों के 5577 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा अभावग्रस्त घोषित गांवों की ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराए जाने का निर्णय किया गया है।

अतः अभावग्रस्त घोषित गांवों की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात कुल 150 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित करते हुए इन ग्राम पंचायतों में मांग के अनुरूप 150 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कैन)
परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, ईजीएस।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ, पाली, चूरू, नागौर एवं श्रीगंगानगर।
5. सहायक निदेशक, आईईजीएस को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner

No.38-04/2019-DM
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare
(Drought Management Division)

Comm EGS
29.1.19

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated the 23rd January, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Additional employment of 50 days over and above 100 days per household under MGNREGA in the drought and hailstorm affected areas of Rajasthan – Regarding.

The undersigned is directed to say that the Government of Rajasthan has declared drought during Kharif 2018-19 in 9 Districts covering 5555 villages and also declared hailstorm in 1 District covering 22 villages. A copy of Rajasthan Government's letter No.F1(8) RD/NREGA/Misc./146269/2017 dated 14.01.2019, along with drought notification No. एफ 1 (4) आ. प्र. एवं सहा /सामान्य /2018 /18874 -94 dated 19.11.2018 and hailstorm notification No. एफ 1 (3) आप्रसआ /ओला /2018 /18721-40 dated 13.[illegible].2018, for Kharif 2018-19 is enclosed.

2. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare recommends extending the benefit of additional 50 days wage employment per household under MGNREGA in the drought and hailstorm affected areas of the State as per rules.

3. This issues with the approval of Joint Secretary (Drought Management).

Encl.:- As above.

(B.P.Bimal)
Deputy Secretary to Government of India
Tele No. (011) 23382922
Email : bp.bimal@gov.in

To

The Secretary,
Ministry of Rural Development,
Department of Rural Development,
Krishi Bhawan, New Delhi.

Copy for information to: Additional Chief Secretary, Rural Development & Panchayati Raj Deptt., Government of Rajasthan, Secretariat Shasan Sachivalay, Vikas Khand, Bhagwant Das Road, Jaipur, Rajasthan 302005

Scanned by CamScanner